भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2989
05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

2989. श्री भजन लाल जाटव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत राज्यों के लिए लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण पुराने जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर सीमित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पात्र परिवार वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से वंचित हैं तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख): राजस्थान में ऐसे पात्र परिवारों की संख्या कितनी है, जिनके आवेदन वर्तमान में लंबित हैं अथवा जिन्हें निर्धारित लाभार्थी सीमा पूर्ण हो जाने के कारण एनएफएसए के अंतर्गत राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तथा करौली एवं धौलपुर जिलों में ऐसे लंबित आवेदनों एवं वंचित पात्र परिवारों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग): क्या सरकार नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों की सीमा का पुनर्निर्धारण करने अथवा राज्यों को अतिरिक्त पात्र परिवारों को शामिल करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है तथा यदि हाँ, तो इस संबंध में संभावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा कया है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। यह अधिनियम 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को शामिल करता है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। इस अधिनियम के तहत कवरेज काफी अधिक है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 81.35 करोड़ व्यक्तियों की अभीष्ट कवरेज की तुलना में केवल 79.08 करोड़ व्यक्तियों (दिनांक 08/07/2026 की स्थिति के अनुसार) की पहचान की है। अभी भी, एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 2.27 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान किए जाने की संभावना है।

...2/-

(ख): इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान की 69.09% ग्रामीण आबादी और 53% शहरी जनसंख्या शामिल है, जिसकी अधिकतम सीमा जनगणना 2011 के अनुसार 446.62 लाख व्यक्ति है। वर्तमान में, 446.62 लाख व्यक्तियों की अभीष्ट कवरेज की तुलना में, राजस्थान राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु 438.43 लाख लाभार्थियों की पहचान की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एनएफएसए के अंतर्गत 8.19 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान की संभावना है।

(ग): केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज में लाभार्थियों की पहचान और उनके राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

केंद्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिका जारी की है ताकि समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करके उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत शामिल किया जा सके। राज्य अपने लाभार्थी डाटाबेस को अद्यतन करते हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को उचित तरीके तरीके से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, इस अधिनियम के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।
